न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज॰)

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्री कनिष्क सैनी

राजस्व प्रार्थनापत्र सं. 3/23/18 तारीख रजू 30.4.18.

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थीगण–
भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार		काटूली पत्नी भंवरसिंह ,जावित्री पत्नी कर्णसिंह ,जाति अहीर बगै.

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131 ,136 राज. भूराजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांक 30.4.18**

तहसीलदार कठूमर (प्रार्थी) की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया। प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पहाडी के भूमि खसरा नं. 179/418 रकबा 0.40 है0. ,खसरा नं. 179 रकबा 0.40 है0 रिकार्ड के अनुसार वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है।

प्रार्थी द्वारा राज. भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 (1) में परिभाषित है तथा राजस्व विभाग की अधिसूचना दि. 17.9.56 के द्वारा धारा 131 ,132 ,136 की शक्तियों के अधीन है। राज. भूराजस्व अधिनियम 1956 के अध्याय 7 सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्य से संबंधित है। राज. भूराजस्व अधिनियम की धारा 131 में मानचित्र एवं फील्ड बुक का संधारण व धारा 132 में वार्षिक रजिस्टरों के संधारण का प्रावधान है। इसके अंतर्गत भू–संपत्ति या खेत की सीमाओं के सभी परिवर्तनों को नक्शे पर लेने का दायित्व है।राज. भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 60 के नक्शे में दुरुस्ती करने के प्रावधान हैं ,जो नक्शे में संशोधित अधिसूचना दि. 2.4.2008 से संशोधन कर नियम 60 जोडा गया है। प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में प्रदर्शित मौका नक्शा में अंकन करने का प्रावधान किया गया है ,जिसमें नियम 58 गश्त गिरदावरी , नियम 59 नक्शे के संबंध में ,नियम 60 नक्शे में दुरुस्ती के संबंध में , नियम 66 खेतों के विभाजन के संबंध में व नियम 86 भूमि का वर्ग परिवर्तन के संबंध में होना अंकित करते हुये प्रार्थनापत्र पेश किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा मौका पर्चा दि 26.4.18 पर हस्ताक्षर कर सहमति व्यक्त की गई ,जो कि पटवारी एवं भू.अ.नि. द्वारा जमाबन्दी को वन–टू–वन करने के लिए तरमीम कार्य पूर्ण करने के लिए बनाया गया था। अतः अप्रार्थीगण को सुने जाना आवश्यक नहीं है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्रार्थी के अनुसार उक्त आराजी मौके पर नजरी नक्शा अनुसार विभाजित की जाकर खातेदारों द्वारा अपनी काश्त की सुविधा एवं कृषि विकास हेतु पृथक पृथक मेढ बनाकर कब्जा काश्त हैं तथा उसी अनुसार नक्शे में मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम कराना चाहते हैं। अतः आराजी खसरा नं. 179/418 ,179/474 ,179 ,179/473 ग्राम पहाडी तहसील कठूमर नजरी नक्शा अनुसार नक्शे में तरमीम किए जाकर पृथक से बटा नंबर डालने के आदेश दिये जाते हैं।उक्तानुसार तहरीर तहसीलदार कठूमर को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दि. 30.4.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)